हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में मनाली नामक स्थान पर एक पारिस्थितिकीय केन्द्र का स्थापित किया जाना

592. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाली नामक स्थान पर एक पारिस्थितिकीय केन्द्र की स्थापना किये जाने के संबंध में निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव था कि जब तक सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होती और उस पर भवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वहां पर केन्द्र की स्थापना के लिए एक निजी इमारत को किराये पर लिया जाए;

(घ) क्या इस समय यह पारिस्थितिकीय केन्द्र कार्य कर रहा है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां । गोविन्द बल्लभ पन्त हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का स्वायत्त-शासी निकाय) की शासी परिषद् ने 12 मार्च, 1992 को हुई अपनी बैठक में, हिमाचल प्रदेश में संस्थान की एक यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ), जी, हां ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Vacant posts in wild life wardens in Jammu and Kashmir

593. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at present 11 posts of Wildlife Wardens are lying vacant for the last two years in Jammu and Kashmir;

(b) if so, the number of eligible candidates who have so far applied for appointment for the posts;

(c) whether the rules have not been framed so far in this regards, if so, what are the reasons for the delay; and

(d) whether Government propose to appoint eligible candidates on ad-hoc basis so as to save wild life in Jammu and Kashmir?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (d) Information has been sought from the State Government and will be laid on the Table of the House.

National Forest Commission

594. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a National Forest Commission for the development of forests in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) There is no such proposal. However, the Government of India has decided to prepare a National Forestry Action

Programme for development of Forests in accordance with the National Forest Policy of 1988. Under this programme, twenty-five year perspective plan and short term action plans will be prepared with full involvement of the State Governments.

Problem of Environment and Ecology in the mining areas

595. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the problem of Environment and Ecology in the mining areas including coal;

(b) if so, what adverse effects they are causing; and

(c) what is the action programme of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Yes, Sir. The main environmental and ecological problems encountered in the mining areas, including coal mines, are:

— Land degradation and subsidence, due to mining and fires;

— Water Pollution including acid mine drainage;

— Noise Pollution;

— Atmospheric pollution;

— Impact on health of workers; and

— Involuntary displacement of population.

(c) The action-programme for controlling adverse impacts includes:

— Impact Assessment of mining projects;

— Fire control in coal mines;

— Rehabilitation of mined areas concurrently with mining operations;

— Effective Implementation of Environmental Management Plans.

मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए जलाशय

596. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री 18 दिसम्बर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2801 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पटपरा जलाशय में जल भंडारण की स्वीकृति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर कुछ शर्तें लगाई थीं जिनमें एक शर्त यह भी थी कि डूब क्षेत्र में आने वाली संभावित 43.3 हैक्टेयर वन भूमि के बदले में राज्य सरकार 130 हैक्टेयर भूमि वन रोपण के उद्देश्य के लिए निर्धारित करे और मध्य प्रदेश सरकार वन रोपण के लिए 20 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से 26 लाख रुपए का भुगतान करे;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उक्त शर्त को पूरा कर दिए जाने के बावजूद उसे पटपरा जलाशय में जल भंडारण की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है;

(ग) अनुमति न दिये जाने के और कौन-कौन से कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच नहीं है कि पटपरा जलाशय के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 163 अन्य जलाशयों को अनुमति देने पर भी रोक लगा दी गई है इन जलाशयों में जल संग्रहण के लिए कब तक अनुमति दे दी जायेगी और उन्हें अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पटपरा टैंक परियोजना के लिए 43.3 है०